रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-72 REGISTERED NO. D (D.N.)-72

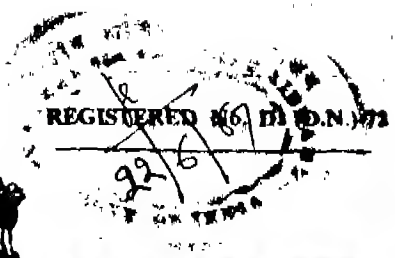

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकरण से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 10] नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 6, 1987/चैत्र 16, 1909
NO. 10] NEW DELHI, MONDAY, APRIL 6, 1987/CHAITRA 16, 1909

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भारतीय औद्योगिक वित्त निगम

नई दिल्ली, 6 अप्रैल, 1987

अधिसूचना

अधिसूचना संख्या 3/87.—औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948 की धारा 43 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय औद्योगिक वित्त निगम के निदेशक बोर्ड ने (भारतीय औद्योगिक विकास बैंक और आयकर आयुक्त,

दिल्ली के पूर्व अनुमोदन से) भूतलक्षी प्रभाव सहित दिनांक 31 मार्च, 1985 से भा औ वि नि (कर्मचारियों को उपदाम संदाय) के विनियम 6 में संशोधन का अनुमोदन किया है। भा औ वि नि (कर्मचारियों को उपदान संदाय) विनियम, 1968 का संशोधित विनियम 6 इस प्रकार है:—

"विनियम 5 के उपबन्धों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना किसी कर्मचारी को स्वीकार्य उपदान की राशि इस प्रकार होगी:—

(क) निगम में की गई सेवा के प्रत्येक पूरे वर्ष या छः महीने से अधिक अवधि के लिए, एक महीने के वेतन के बराबर राशि लेकिन यह राशि बीस महीने के वेतन या पैंतालीस हजार रुपए; इनमें से जो भी कम हो, से अधिक नहीं होगी; और

(ख) निगम में तीस वर्ष से अधिक की गई सेवा के प्रत्येक पूरे वर्ष या छः महीने से अधिक अवधि के लिए, आधे महीने के वेतन के बराबर अतिरिक्त राशि।"

2. उक्त संशोधन भूतलक्षी प्रभाव सहित दिनांक 31 मार्च, 1985 से लागू हुआ।

आर. विश्वनाथन, कार्यपालक निदेशक

INDUSTRIAL FINANCE CORPORATION OF INDIA

New Delhi, the 6th April, 1987

NOTIFICATION

Notification No. 3|87—In exercise of powers conferred by Section 43 of the Industrial Finance Corporation Act, 1948, the Board of Directors of the Industrial Finance Corporation of India (with the previous approval of the Industrial Development Bank of India and Commissioner of Income Tax, Delhi) have approved the amendment to Regulation 6 of the IFCI (Payment of Gratuity to Employees) Regulations, 1968 with retrospective effect from the 31st March,

1985. Amended Regulation 6 of IFCI (Payment of Gratuity to Employees) Regulations, 1968 reads as under :—

"Without prejudice to the provisions of Regulation 5 the amount of gratuity admissible to an employee shall be :—

(a) a sum equal to one month's pay for each completed year of service or part thereof in excess of six months in the Corporation subject to a maximum of twenty month's pay or Rupees forty five thousand, whichever is less; and

(b) an additional sum equal to half month's pay in respect of each completed year of service in the Corporation or part thereof in excess of six months of service over and above thirty years.

2. The said amendment came into force with restrospective effect from the 31st March, 1985.

R. VISWANATHAN, Executive Director

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1987